vinetur

राष्ट्रपति करोल नाव्रोत्स्की ने 2027 में पोलैंड के शराब कर बढ़ाने वाले कानून पर किए हस्ताक्षर

नाव्रोत्स्की ने कहा कि बीयर, वाइन और स्पिरिट्स पर बढ़े उत्पाद शुल्क से मिलने वाला अतिरिक्त राजस्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोष को दिया जाएगा

गुरुवार, 19 नवंबर 2026



राष्ट्रपति करोल नाव्रोत्स्की ने बुधवार, 18 नवंबर को इस उपाय पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद पोलैंड में 1 जनवरी, 2027 से वाइन, बीयर, स्पिरिट्स और अन्य मादक पेयों पर उत्पाद शुल्क बढ़ जाएगा। साथ ही, उन्होंने एक अलग विधेयक को वीटो कर दिया, जिससे कुछ गैर-मादक पेयों पर वैट में बदलाव होना था।

राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, नाव्रोत्स्की ने उन तीन कानूनों पर हस्ताक्षर किए जिन्हें सेज्म और सीनेट पहले ही मंजूरी दे चुके थे, जबकि एक अन्य को खारिज कर दिया। हस्ताक्षरित कर संशोधन से पोलैंड में बिकने वाली शराब की प्रमुख श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क की दरें बढ़ेंगी। इससे उत्पादकों, आयातकों और खुदरा विक्रेताओं को 2027 की कर व्यवस्था के बारे में अधिक स्पष्टता मिलेगी, लेकिन बाजार में लागत का दबाव भी बढ़ेगा। ऐसे में कंपनियों को कीमतों, मार्जिन और बिक्री योजनाओं की समीक्षा करनी पड़ सकती है।

नए कानून के तहत एथिल अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क 8,811 ज़्लॉटी से बढ़कर प्रति हेक्टोलिटर शुद्ध अल्कोहल पर 10,109 ज़्लॉटी हो जाएगा। बीयर पर कर 12.04 ज़्लॉटी से बढ़कर प्रति हेक्टोलिटर और प्लेटो डिग्री पर 13.82 ज़्लॉटी होगा। वाइन और अन्य किण्वित पेयों पर दर 245 ज़्लॉटी से बढ़कर प्रति हेक्टोलिटर 280.83 ज़्लॉटी हो जाएगी। मध्यवर्ती उत्पादों पर उत्पाद शुल्क प्रति हेक्टोलिटर 490 ज़्लॉटी से बढ़कर 562.93 ज़्लॉटी होगा।

कानून में 5% तक अल्कोहल वाले साइडर और पेरी पर कर व्यवस्था भी बदली गई है। इस श्रेणी में दर 97 ज़्लॉटी से बढ़कर प्रति हेक्टोलिटर 116.40 ज़्लॉटी हो जाएगी। ये बदलाव 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

नाव्रोत्स्की ने कहा कि यह उपाय उस समान उत्पाद शुल्क प्रस्ताव से अलग है जिसे उन्होंने दिसंबर 2025 में खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी टिप्पणियों में उन्होंने कहा कि पहले उनकी आपत्ति यह थी कि इस बात की पर्याप्त गारंटी नहीं थी कि अतिरिक्त कर राजस्व का इस्तेमाल केवल स्वास्थ्य देखभाल के लिए होगा, न कि बजट की व्यापक कमी को पूरा करने के लिए। उनके मुताबिक, नए कानून में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि अतिरिक्त राशि स्वास्थ्य प्रणाली को दी जाए।

कानून के अनुसार, उत्पाद शुल्क से मिलने वाला अतिरिक्त राजस्व पोलैंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोष को दिया जाएगा। 2027 और 2028 में कोष के लिए राज्य की सब्सिडी बढ़ाई जाएगी और बाद में शराब पर बढ़े हुए कर से वास्तव में हुई वसूली के आधार पर उसमें समायोजन किया जाएगा। नाव्रोत्स्की ने तर्क दिया कि शराब पर कर से इसके सेवन से जुड़ी सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागतों से निपटने में मदद मिलनी चाहिए।

इसी दौरान, नाव्रोत्स्की ने एक अलग विधेयक को वीटो कर दिया, जिसके तहत ऊर्जा पेय और कुछ गैर-मादक पेय उत्पादों समेत चुनिंदा पेय श्रेणियों पर वैट बढ़ाया जाना था। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि इस वीटो के पीछे कानून लागू करने से पहले और परामर्श करने तथा उसके प्रभावों का अधिक व्यापक विश्लेषण करने की जरूरत थी। इस रुख का ब्यौरा सेज्म को भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति द्वारा घोषित पैकेज में हस्ताक्षरित दो अन्य कानून भी शामिल थे। इनमें से एक कानून व्यक्तियों और कंपनियों के आयकर नियमों में बदलाव करता है। यह पोलैंड में इंटरनेट कर कटौती को समाप्त करता है, हालांकि जिन करदाताओं ने 2026 की कर विवरणी में पहली बार इस छूट का लाभ लिया है, वे अगले वर्ष भी इसका दावा कर सकेंगे। यही कानून मानद रक्तदाताओं के लिए उपलब्ध कर राहत को दोगुना करता है, रोबोटीकरण पर कर छूट को 10 साल बढ़ाता है और कुछ कॉरपोरेट करदाताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विस्तार संबंधी छूट को समाप्त करता है। ये बदलाव भी 1 जनवरी, 2027 से लागू होने हैं।

हस्ताक्षरित तीसरा कानून पोलिश इन्वेस्टमेंट ज़ोन के नियमों में बदलाव करता है, जो नए निवेश के लिए सहायता प्रणाली है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, इसका उद्देश्य कारोबारियों के लिए परियोजनाएं पूरी करना और 2026 के अंत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अवधि समाप्त होने के बाद कर छूट का लाभ लेना आसान बनाना है। संशोधन के तहत, परियोजना के स्थान के आधार पर सहायता संबंधी फैसले 15 से 20 साल तक वैध रहेंगे। वहीं, कम-से-कम 40 मिलियन ज़्लॉटी की अधिकतम सार्वजनिक सहायता वाले बड़े निवेशों के लिए राष्ट्रीय राजस्व प्रशासन के प्रमुख की राय लेना जरूरी होगा। इनमें से अधिकतर प्रावधान भी 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।